

प्रेषक,

श्री एस.आर.लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनांक: 7मार्च, 2000

विषय: विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0 प्र0 द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां एक ओर निर्माण कार्य कराये जाते हैं वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम भी सम्पादित किये जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि वर्तमान में कुछ ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं से सामाजिक क्षेत्र के कार्य कराये जा रहे हैं, जिन्हें उस क्षेत्र में निपुणता हासिल नहीं है तथा जिनका चयन भी मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक-2442/पी. एस.एम.एस./99, दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 में प्राविधानित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है अथवा कहीं सामाजिक क्षेत्रों में जिलों के लिए निर्धारित बजट से कहीं अधिक का कार्य कराया जा रहा है। उपर्युक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत सामाजिक क्षेत्र के कार्य सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से निर्धारित बजट/मानकों के अनुरूप नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त सामुदायिक विकास समिति द्वारा सम्पादित किये जायें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपद स्तर पर सामाजिक क्षेत्र के कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सामुदायिक विकास समितियों द्वारा तैयार किये जायेंगे जिनका परीक्षण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार गुणावगुण पर परियोजना अधिकारी/परियोजना निदेशक द्वारा किया जायेगा। परियोजना निदेशक की स्पष्ट संस्तुति एवं सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। कृपया अपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(एस.आर.लाखा)

सचिव

सं0-948(1)/69.1.2000-21(सा)/99, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
- (4) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)

अनु सचिव